BCCI BULLETIN

Vol. 56 | March 2025 | No. 03

BIHAR CHAMBER OF COMMERCE & INDUSTRIES

चैम्बर सदस्यों ने एक दूसरे पर गुलाब की पंखुड़ियों की वर्षा कर दी होली की बधाई

माननीय पथ निर्माण मंत्री, बिहार श्री नितिन नवीन, माननीय मंत्री राजस्व एवं भूमि सुधार श्री संजय सरावगी का स्वागत करते चैम्बर अध्यक्ष श्री सुभाष कुमार पटवारी, श्री मुकेश जैन, श्री राजेश जैन, श्री निशांत सिंह एवं अन्य।

बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज के प्रांगण में दिनांक 11 मार्च 2025 को होली मिलन समारोह धूम-धाम से मनाया गया जिसमें सदस्यों ने एक दूसरे पर गुलाब की पंखुड़ियों की वर्षा कर होली की बधाई दी।

चैम्बर अध्यक्ष श्री सुभाष पटवारी ने कहा कि होली आपसी प्रेम, भाईचारा एवं एकता का प्रतीक है। होली हमें सभी मतभेदों को भुलाकर एक-दूसरे को गले लगाने की प्रेरणा प्रदान करती है। इसी को ध्यान में रखते हुए बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज की ओर से होली के शुभ अवसर पर प्रत्येक वर्ष होली मिलन समारोह का आयोजन कर, आपसी मेल-जोल को और प्रगाढ़ किया जाता है।

चैम्बर अध्यक्ष श्री पटवारी ने कहा कि चूंकि रंग एवं अबीर में कई प्रकार के रसायनों का प्रयोग होने लगा है जो शरीर की त्वचा को तो नुकसान पहुँचाता ही है साथ ही साथ पर्यावरण को भी प्रदूषित करता है और इससे जल की भी बर्वादी होती है। इसी को ध्यान में रखते हुए चैम्बर ने पर्यावरण अनुकूल गुलाल, रंग-अबीर रहित फूलों की होली का आयोजन किया है। उन्होंने कहा कि इस अवसर पर आगन्तुकों के लिए होली के पारंपरिक व्यंजनों के साथ-साथ उनके मनोरंजन हेतु साईं म्यूजिकल ग्रुप के कलाकारों ने होली के पारंपरिक गीतों एवं नृत्यों से सभी श्रोताओं का भरपूर मनोरंजन किया। उन्होंने कहा कि चैम्बर द्वारा आयोजित होली मिलन समारोह में चैम्बर परिवार के सदस्यों के साथ-साथ राज्य के सभी तबके के गणमान्य महानुभाव सपरिवार इस समारोह में सम्मिलित होकर एक दूसरे पर फूलों की वर्षा कर होली की शुभकामनाएं दी। इस समारोह में माननीय पथ निर्माण मंत्री श्री नितिन नवीन, माननीय राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग मंत्री श्री संजय सरावगी,

समारोह में पधारे पूर्व केन्द्रीय मंत्री श्री राम कृपाल यादव के साथ चैम्बर के पूर्व अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल, चैम्बर उपाध्यक्ष श्री आशीष शंकर कोषाध्यक्ष श्री सुबोध कुमार जैन, बियाडा के कार्यकारी निदेशक श्री संतोष कुमार सिन्हा एवं अन्य

माननीया महापौर श्रीमती सीता साहू का स्वागत करते चैम्बर अध्यक्ष श्री सुभाष कुमार पटवारी, उपाध्यक्ष श्री आशीष शंकर, श्री निशांत सिंह एवं अन्य।

अध्यक्ष की कलम से.....

प्रिय बन्धुओं,

माननीय उप मुख्यमंत्री–सह–वित्त मंत्री, बिहार श्री सम्राट चौधरी द्वारा दिनांक 3 मार्च, 2025 को विधान सभा में प्रस्तुत बिहार बजट 2025–26 स्वागत योग्य है। इससे बिहार के चहुंमुखी विकास को बल मिलेगा । इस बजट में कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, सूचना प्रावैधिकी, पर्यटन उद्योग एवं निवेश को बढ़ावा, ग्रामीण एवं शहरी आधारभूत संरचना का विकास एवं जन कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन पर बल दिया गया है । इसका लाभ निचले स्तर तक पहुँचेगा ।

बजट में बिहार प्लास्टिक विनिर्माण नीति, बिहार खाद्य प्रसंस्करण नीति 2025, बिहार फर्मास्यूटिकल नीति लाने, औद्योगिक विकास नीति को विकसित करने, राज्य के राजगीर, सुल्तानगंज एवं रक्सौल में ग्रीन फिल्ड एयरपोर्ट का निर्माण, पूर्णिया से तीन महीने में हवाई सेवा शुरू करने, बेगुसराय में कैंसर अस्पताल का निर्माण, निबंधन कार्यालयों को पेपरलेस करने, 2027 तक राज्य के सभी भागों से 4 घंटें में मुख्यालय पहुँचने, राज्य के सभी बस स्टेंडों का आधुनिकीकरण, प्रत्येक प्रखंड में डिग्री कॉलेज की स्थापना का प्रावधान स्वागत योग्य कदम है ।

बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन (वस्त्र एवं चर्म) नीति 2022 की कंडिका 12.8 में चरण–I के मंजूरी के लिए आवेदन की तिथि एवं वित्तीय मंजूरी की तिथि से संबंधित प्रावधान में संशोधन किया गया है।

अब –

चरण–I की मंजूरी के लिए आवेदन अधिकतम 30 जून 2026 तक उद्योग विभाग के Single Window Clearance Portal पर जमा किया जा सकेगा।

वित्तीय मंजूरी के लिए आवेदन उद्योग विभाग के Single Window Clearance Portal पर अधिकतम 30 जून 2027 तक जमा किया जा सकेगा।

Central Board of Direct Taxes (CBDT) ने Stakeholders से Proposed Income Tax Bill 2025 पर सुझाव मांगा है । Stakeholder Efiling मंच पर जाकर अपना नाम एवं मोबाइल नम्बर दर्ज कर सुझाव दे सकते हैं ।

Office of the Commissioner of Customs (Preventive), Patna, Government of India ने Notification issue करते हुए भारतीय डाक विभाग जी0पी0ओ0 पटना को Custodian and Customs Cargo Service Provider appoint किया है। अब पटना से भारत के बाहर सामान भेजने और प्राप्त करने की सुविधाएं मिलेगी । इससे आयात–निर्यात करने वालों को लागत में कमी आएगी, समय की बचत होगी एवं Export-Import को बढ़ावा मिलेगा ।

श्रम संसाधन विभाग, बिहार द्वारा बिहार न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के अन्तर्गत श्रमिकों के वर्गीकरण से संबंधित जो सुझाव मांगा गया था उसे चैम्बर द्वारा भेज दिया गया है ।

राज्य के सात विधायक यथा – श्री मोती लाल प्रसाद, श्री विजय कुमार मंडल, श्री संजय सरावगी, श्री राजू कुमार सिंह, श्री जिवेश कुमार, श्री कृष्ण कुमार मंटू एवं डॉ0 सुनील कुमार को मंत्री बनाया गया है उन्हें चैम्बर की ओर से बधाई संदेश भेजा गया है।

चैम्बर की ओर से नव सृजित HT श्रेणी HTSS 132 kv/220kv के लिए प्रति यूनिट Subsidy का प्रावधान करने के लिए अनुरोध किया गया है ।

बिहार के पटना, गया एवं दरभंगा एयरपोर्टस पर यथाशीघ्र किफायती 'उड़ान यात्री कैफे' की शुरूआत करने का आग्रह माननीय नागर विमानन मंत्री, भारत सरकार से किया गया है साथ ही बिहार के प्रमुख माननीय सांसदों से भी आग्रह किया गया है कि वे भी अपने–अपने स्तर से भारत सरकार से अनुरोध करें ।

बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार (बियाडा) द्वारा Bihar Exit Policy के तहत लाभुकों के बीच चेक वितरण किया जा रहा है जो एक प्रशंसनीय पहल है। **Bihar Exit Policy में आवंटित भूमि वापस करने के लिए आवेदन करने हेतु 31 दिसम्बर 2025 तक का समय दिया गया है।**

दिनांक 11 मार्च 2025 को चैम्बर के होली मिलन समारोह को सफल बनाने के लिए होली मिलन समारोह आयोजन समिति के चेयरमैन श्री मुकेश कुमार जैन, को–चेयरमैन श्री अजय गुप्ता एवं श्री पवन भगत तथा चैम्बर के सभी सदस्यों को बहुत–बहुत धन्यवाद।

चैम्बर की अन्य गतिविधियों की जानकारी इसी बुलेटिन में सम्मानित सदस्यों के सूचनार्थ प्रकाशित की गई है ।

सादर,

आपका

सुभाष पटवारी

समारोह में राधा-कृष्ण नृत्य करते कलाकारों के साथ चैम्बर अध्यक्ष श्री सुभाष कुमार पटवारी, माननीय पूर्व केन्द्रीय मंत्री श्री राम कृपाल यादव, उपाध्यक्ष श्री आशीष शंकर, श्री अजय गुप्ता, श्री शशि गोयल, श्री बिनोद कुमार एवं अन्य सदस्यगण।

राधा-कृष्ण नृत्य करते कलाकारों के संग माननीय विधायक श्री अरूण कुमार सिन्हा, महामंत्री श्री पशुपति नाथ पाण्डेय, श्री राजेश जैन, श्री मुकेश कुमार जैन, श्री अजय गुप्ता, डॉ. रमेश गांधी एवं अन्य।

सेल्फी प्वाइंट पर ग्रुप फोटो में माननीय पूर्व केन्द्रीय मंत्री श्री राम कृपाल यादव, महामंत्री श्री पशुपति नाथ पाण्डेय, श्री मुकेश कुमार जैन, श्री रवि गुप्ता, श्री राजेश जैन, श्री पवन कुमार भगत, श्री शशि गोयल, श्री निशांत सिंह, श्री अजय गुप्ता एवं श्री राकेश कुमार।

सेल्फी प्वाइंट पर ग्रुप फोटो में डॉ. एस. एस. झा, डॉ. वीणा झा, चैम्बर अध्यक्ष श्री सुभाष कुमार पटवारी, पूर्व अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल, श्री राजेश जैन, श्री मुकेश कुमार जैन, श्री पवन कुमार भगत, श्री अमर अग्रवाल एवं अन्य।

सेल्फी प्वाइंट पर ग्रुप फोटो में माननीय सदस्य बिहार विधान परिषद श्री ललन सराफ, पूर्व अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल, श्री अमर अग्रवाल, श्री संतोष कुमार अग्रवाल, श्रीमती नीलम अग्रवाल, श्री पवन कुमार भगत एवं अन्य।

समारोह में उपस्थित माननीय पूर्व राज्यपाल सिक्किम श्री गंगा प्रसाद, पूर्व केन्द्रीय मंत्री श्री राम कृपाल यादव। साथ में कोषाध्यक्ष श्री सुबोध कुमार जैन, श्री अजय गुप्ता एवं अन्य।

माननीय विधायक श्री संजीव चौरसिया का स्वागत करते श्री मुकेश कुमार जैन, श्री पवन भगत एवं श्री आशीष प्रसाद।

उप महापौर श्रीमती रेश्मी चन्द्रवंशी का स्वागत करते श्री मुकेश कुमार जैन, श्री पवन भगत एवं अन्य।

होली मिलन समारोह में उपस्थित चैम्बर के सदस्यगण एवं सम्मनित अतिथिगण।

समारोह में ठंढई एवं स्वादिष्ट व्यंजनों का लुत्फ उठाते अतिथिगण एवं सदस्यगण।

माननीय विधायक श्री संजीव चौरसिया एवं श्री अरुण कुमार सिन्हा, माननीय सदस्य बिहार विधान परिषद श्री ललन सराफ, सिक्किम के पूर्व राज्यपाल श्री गंगा प्रसाद, भारत सरकार के पूर्व मंत्री श्री राम कृपाल यादव, महापौर श्रीमती सीता साहू, उप महापौर श्रीमती रेश्मी चंद्रवंशी के साथ-साथ भारत सरकार एवं बिहार सरकार के वरीय अधिकारीगण, पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन, बैंक के अधिकारीगण, अधिवक्ता एवं न्यायिक सेवा के अधिकारियों ने पधारकर चैम्बर परिवार का उत्साहवर्द्धन किया।

समारोह में चैम्बर के उपाध्यक्ष श्री आशीष शंकर एवं श्री प्रदीप चौरसिया, महामंत्री श्री पशुपति नाथ पाण्डेय, कोषाध्यक्ष श्री सुबोध जैन, पूर्व अध्यक्ष श्री पी० के० अग्रवाल, पूर्व उपाध्यक्ष श्री एन. के. ठाकुर, होली मिलन समारोह आयोजन समिति के चेयरमैन श्री मुकेश कुमार जैन, को-चेयरमैन श्री अजय गुप्ता एवं श्री पवन भगत, पूर्व कोषाध्यक्ष श्री विशाल टेकरीवाल, श्री गणेश कुमार खेतड़ीवाल, श्री सुनील सराफ, श्री शशि गोयल, श्री राकेश कुमार, श्री आशीष प्रसाद, श्री राजेश जैन, श्री राजेश माखरिया, डॉ रमेश गाँधी, श्री रवि गुप्ता, श्री अशोक कुमार सहित बड़ी संख्या में उद्यमी एवं व्यवसायी सपरिवार तथा प्रेस एवं मीडिया बन्धु समारोह में सम्मिलित हुए।

वाणिज्य-कर विभाग, बिहार सरकार द्वारा प्रशासित अधिनियमों के अंतर्गत Ease of Doing Business के तहत व्यवसाय एवं उद्योग संघों के साथ संवाद हेतु राज्य-कर आयुक्त-सह-सचिव की बैठक

वाणिज्य-कर विभाग, बिहार सरकार द्वारा प्रशासित अधिनियमों के अंतर्गत Ease of Doing Business के तहत व्यवसाय एवं उद्योग संघों के साथ संवाद बढ़ाने हेतु राज्य-कर आयुक्त-सह-सचिव श्री संजय कुमार सिंह, भा0प्र0से0 की अध्यक्षता में दिनांक 4 मार्च, 2025 को उनके कार्यालय में एक बैठक आयोजित हुई ।

इस बैठक में बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज की ओर से अध्यक्ष श्री सुभाष कुमार पटवारी, जीएसटी उप समिति के चेयरमैन श्री सुनील सराफ, को-चेयरमैन श्री अभिजीत बैद, कार्यकारिणी सदस्य श्री अरूण कुमार एवं श्री पंकज मोर सम्मिलित हुए ।

CII बिहार की वार्षिक बैठक 2025 में चैम्बर अध्यक्ष शामिल हुए

बैठक में उपस्थित चैम्बर अध्यक्ष श्री सुभाष कुमार पटवारी एवं महामंत्री श्री पशुपति नाथ पाण्डेय

CII बिहार की वार्षिक बैठक 2025 दिनांक 5 मार्च, 2025 को होटल मौर्या, पटना में सम्पन्न हुई। इस बैठक में बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज की ओर अध्यक्ष श्री सुभाष कुमार पटवारी एवं महामंत्री श्री पशुपति नाथ पाण्डेय सम्मिलित हुए।

बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार के परियोजना समाशोधन समिति की बैठक

बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार (BIADA) के परियोजना समाशोधन समिति (PCC) की बैठक दिनांक 7 मार्च, 2025 को प्राधिकार के सभाकक्ष में आयोजित हुई। बैठक की अध्यक्षता श्री कुन्दन कुमार, भा0प्र0से0, प्रबन्ध निदेशक, बियाडा ने विडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की ।

उक्त बैठक में बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज की ओर से उपाध्यक्ष श्री आशीष शंकर सम्मिलित हुए।

बियाडा की ओर से EXIT POLICY-2023 में माननीय उद्योग मंत्री द्वारा लाभार्थियों को चेक वितरण

मंचासीन माननीय उद्योग मंत्री, बिहार श्री नीतीश मिश्रा, प्रबंध निदेशक बियाडा श्री कुन्दन कुमार, कार्यकारी निदेशक, बियाडा श्री चन्द्र शेखर सिंह, बी.आई.ए.के अध्यक्ष श्री के. पी. एस. केशरी एवं चैम्बर अध्यक्ष श्री सुभाष कुमार पटवारी।

बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार (BIADA) की ओर से Exit Policy-2023 के लाभार्थियों को दिनांक 11 मार्च, 2025 को

कार्यक्रम में चैम्बर अध्यक्ष श्री सुभाष कुमार पटवारी को सम्मानित करते विभागीय अधिकारी।

लाभार्थियों को चेक प्रदान करते माननीय उद्योग मंत्री, बिहार श्री नीतीश मिश्रा।

प्राधिकार के सभाकक्ष में माननीय उद्योग मंत्री, बिहार श्री नीतीश मिश्रा के कर-कमलों द्वारा चेक वितरित किया गया। कार्यक्रम में बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज की ओर से अध्यक्ष श्री सुभाष कुमार पटवारी सम्मिलित हुए। कार्यक्रम में अंग-वस्त्र भेंट कर चैम्बर अध्यक्ष श्री सुभाष कुमार पटवारी को सम्मानित भी किया गया।

इण्डस्ट्रीज स्टेकहोल्डर्स कंसलटेशन मीट में चैम्बर अध्यक्ष शामिल हुए

दिनांक 21 मार्च, 2025 को उद्योग विभाग, बिहार सरकार की ओर से श्रीमती अंशुली आर्या, सचिव, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार के साथ Industry Stakeholder's Consultation Meet का आयोजन स्टेट गेस्ट हाउस पटना में किया गया जिसमें बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज की ओर से अध्यक्ष श्री सुभाष पटवारी सम्मिलित हुए।

चैम्बर एवं बिहार टी.बी. एसोसियेशन के संयुक्त तत्वावधान में ट्यूबरक्लोसिस पर जागरूकता कार्यक्रम

बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज एवं दी बिहार ट्यूबरक्लोसिस एसोसियेशन, पटना के संयुक्त तत्वावधान में टी.बी. (यक्षमा) सामाजिक कलंक एवं इसके रोकथाम और नियंत्रण एक चुनौती पर एक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन दिनांक 21 मार्च, 2025 को चैम्बर के सभागार में किया गया।

अपने सम्बोधन में चैम्बर के पूर्व अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल ने कहा कि आज से 50 वर्ष पहले टी.बी. से लोग काफी भयभीत रहते थे परन्तु आज इसकी चिकित्सा सहज रूप में सम्भव है परन्तु इलाज कराते समय दवा का पूरा कोर्स लेना अनिवार्य है । दवा बीच में छोड़ी तो फिर से पूरा कोर्स लेना पड़ेगा।

बैठक को संबोधित करते श्री यू. एन. विद्यार्थी, चेमरमैन, बिहार टी. बी. एसोसियेशन। उनकी दाँयीं ओर चैम्बर के पूर्व अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल, उपाध्यक्ष श्री आशीष शंकर, महामंत्री श्री पशुपति नाथ पाण्डेय एवं संगठन उप समिति के चयेरमैन श्री अजय गुप्ता। बाँयीं ओर पटना एम्स के पूर्व विभागाध्यक्ष (रेडियो) प्रो. (डॉ.) प्रेम कुमार।

इस कार्यक्रम में बिहार टी.बी. एसोसियेशन के चेयरमैन श्री यू. एन. विद्यार्थी, पटना एम्स के पूर्व विभागाध्यक्ष (रेडियो) प्रो० (डॉ०) प्रेम कुमार, डॉ० अरविन्द कुमार सिंह, डॉ० रजनीश चौधरी, डॉ0 राकेश कुमार, डॉ० सौरभ एवं इस क्षेत्र में कार्य कर रहे विशेषज्ञों द्वारा टी.बी. (यक्षमा) के कलंक से लड़ने के तरीके के बारे में विस्तृत चर्चा की गयी। डॉक्टरों ने बताया कि नाखून और बाल को छोड़कर शरीर के किसी भी भाग में टी.बी. हो सकता है । हलाकि फेफड़ों में होने वाली टीबी सबसे आम होती है । यह कोरोना की तरह खांसी और छींक से एक दूसरे को संक्रमित कर देता है । इसलिए समय पर इस बीमारी की जाँच करायें और डॉक्टर जैसी सलाह दें, उतने दिन दवा अवश्य खायें। ऐसा न हो कि कुछ दिन दवा खाने के बाद थोड़ा अच्छा अनुभव होने पर दवा को छोड़ दें। इस बीमारी की जाँच एवं दवा मुफ्त है साथ ही पौष्टिक आहार के लिए सरकार की तरफ से प्रति माह 1000/- रूपये दिये जाते हैं। उन्होंने बताया कि आज के समय में इस बीमारी से मृत्यु दर न के बराबर है । कैसा भी टी.बी. ग्रसित रोगी है, उसका पूरा उपचार सम्भव है।

बैठक में उपस्थित बिहार टी.बी. एसोसियेशन के चेयरमैन, चिकित्सकगण, चैम्बर के पदाधिकारीगण, सदस्यगण एवं अन्य।

इस अवसर पर चैम्बर उपाध्यक्ष श्री आशीष शंकर, महामंत्री श्री पशुपति नाथ पाण्डेय, कार्यकारिणी सदस्य श्री अजय गुप्ता, श्री पवन भगत, श्री अशोक कुमार सहित चैम्बर के अन्य सदस्यगण भी उपस्थित थे।

चैम्बर द्वारा नवीन गुप्ता सम्मानित

एफएआईआईटीए के अध्यक्ष श्री नवीन गुप्ता को पुष्पगुच्छ एवं शॉल भेंटकर सम्मानित करते चैम्बर अध्यक्ष श्री सुभाष कुमार पटवारी, पूर्व अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल, उपाध्यक्ष श्री आशीष शंकर एवं श्री प्रदीप चौरसिया, कोषाध्यक्ष श्री सुबोध जैन एवं महामंत्री श्री पशुपतिनाथ पाण्डेय।

बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज की दिनांक 22 मार्च, 2025 को सम्पन्न कार्यकारिणी समिति की बैठक में कार्यकारिणी सदस्य श्री नवीन गुप्ता को फेडेरेशन ऑफ ऑल इंडिया आई० टी० एसोसियेशन का अध्यक्ष निर्वाचित होने पर बधाई दी गयी तथा पुष्प गुच्छ देकर एवं शॉल ओढ़ाकर उन्हें सम्मानित किया गया।

चैम्बर अध्यक्ष श्री सुभाष पटवारी ने कहा कि बिहारवासियों विशेषकर राज्य के उद्यमियों व व्यापारियों के लिए यह गर्व की बात है । श्री गुप्ता चैम्बर के पुराने सदस्यों में से एक हैं । श्री पटवारी ने आशा एवं विश्वास व्यक्त करते हुए कहा कि श्री गुप्ता को आई.टी. क्षेत्र का विशाल अनुभव और विशेषज्ञता से एफएआईआईटीए लाभान्वित होगा।

बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार के परियोजना समाशोधन समिति की बैठक

बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार (BIADA) के परियोजना समाशोधन समिति (PCC) की बैठक दिनांक 26 मार्च, 2025 को प्राधिकार के सभाकक्ष में आयोजित हुई । बैठक की अध्यक्षता श्री कुन्दन कुमार, भा.प्र.से., प्रबन्ध निदेशक, बियाडा ने वीडियो कांफ्रेंसिंग से की। इस बैठक में बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज की ओर से कार्यकारिणी सदस्य श्री अजय कुमार गुप्ता सम्मिलित हुए ।

16वें वित्त आयोग के साथ उद्यमियों एवं व्यवसायियों की बैठक

बैठक की अध्यक्षता करते डॉ. अरविन्द पनगढ़िया, चैयरमैन, 16 वाँ वित्त आयोग, भारत सरकार, आयोग के सदस्यगण एवं अन्य।

16 वाँ वित्त आयोग की बैठक में उपस्थित चैम्बर अध्यक्ष श्री सुभाष कुमार पटवारी, उपाध्यक्ष श्री आशीष शंकर एवं अन्य।

16 वाँ वित्त आयोग के सदस्यों के साथ चैम्बर अध्यक्ष श्री सुभाष कुमार पटवारी एवं उपाध्यक्ष श्री आशीष शंकर।

16वें वित्त आयोग (16th Finance Commission) ने दिनांक 20 मार्च, 2025 को राज्य के उद्यमियों एवं व्यवसायियों के साथ होटल मौर्या, पटना में बैठक की एवं उनका मंतव्य लिया। उक्त बैठक में बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज की ओर से अध्यक्ष श्री सुभाष कुमार पटवारी एवं उपाध्यक्ष श्री आशीष शंकर सम्मिलित हुए।

चैम्बर ने किया बजट का स्वागत निचले स्तर तक पहुंचेगा लाभ

बिहार चैम्बर ऑफ कामर्स एण्ड इंडस्ट्रीज ने उप मुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री सम्राट चौधरी की ओर से दिनांक 03 मार्च 2025 को विधान सभा में पेश बिहार बजट 2025-2026 का स्वागत किया है। कहा कि इससे राज्य के चहुंमुखी विकास को बल मिलेगा। चैम्बर अध्यक्ष सुभाष पटवारी ने बताया कि बजट में कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, सूचना-प्रावैधिकी, पर्यटन उद्योग एवं निवेश को बढ़ावा, कृषि, ग्रामीण एवं शहरी आधारभूत संरचना का विकास एवं जनकल्याणकारी योजनाओं के कार्यान्वयन पर बल दिया गया है। कहा, इसका लाभ निचले स्तर तक

पहुँचेगा। पटवारी ने कहा कि बजट में बिहार प्लास्टिक विनिर्माण निति, बिहार खाद्य प्रसंस्करण नीति 2025, बिहार फार्मास्यूटिकल नीति लाने, औद्योगिक विकास नीति को विकसित करने, राज्य के राजगीर, सुल्तानगंज एवं रक्सौल में ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट बनाने, पूर्णिया से तीन महीने में हवाई सेवा का आरंभ आदि प्रविधान काफी महत्वपूर्ण हैं। बेगूसराय में कैंसर अस्पताल का निर्माण, पीपीपी मोड पर मेडिकल कालेज का निर्माण, निबंधन कार्यालयों को पेपरलेस करने 2027 तक राज्य के सभी भागों से चार घंटे में मुख्यालय पहुँचने, राज्य के सभी बस स्टैंड का आधुनिकीकरण, प्रत्येक प्रखंड में डिग्री कालेज की स्थापना स्वागत योग्य कदम है। **(साभार : दैनिक जागरण, 4.3.2025)**

चैम्बर द्वारा एग्जिट नीति का स्वागत

बीसीसीआई ने बियाडा द्वारा नवीनतम एग्जिट नीति के तहत लाभुकों के बीच चेक वितरण का स्वागत किया है। बीसीसीआई अध्यक्ष श्री सुभाष पटवारी ने बताया कि यह पहल प्रशंसनीय है।

नई नीति के तहत जिन उद्यमियों को जमीन का आवंटन पहले किया गया है और जो उद्यम चलाने में असमर्थ हैं, उन्हें बियाडा द्वारा बिहार एग्जिट नीति के तहत जमीन बियाडा को वापस लौटाने का अवसर दिया जाता है। इससे वैसे नए उद्यमी जो उद्यम लगाना चाहते हैं, उन्हें जमीन उपलब्ध हो जाती है। बीसीसीआई अध्यक्ष ने बताया कि इस पहल से उद्यमियों के बीच एक सकारात्मक संदेश जाएगा।

(साभार : हिन्दुस्तान, 13.3.2025)

चैम्बर ने 16वें वित्त आयोग को दिये कई सुझाव

16 वें वित्त आयोग द्वारा बिहार के उद्यामियों एवं व्यवसायियों के साथ दिनांक 20 मार्च 2025 को बुलायी गयी बैठक में बिहार चैम्बर ऑफ कामर्स एण्ड इंडस्ट्रीज की ओर से अध्यक्ष श्री सुभाष कुमार पटवारी एवं उपाध्यक्ष श्री आशीष शंकर सम्मिलित हुए। चैम्बर के इन पदाधिकारियों ने राज्य के औद्योगिक विकास को गति प्रदान करने के लिए आयोग को कई सुझाव दिये।

ये हैं सुझाव : • प्रति व्यक्ति आय 59,637 रुपये है जो कि राष्ट्रीय औसत 1,69,496 से काफी नीचे है। इस अंतर को पाटने की आवश्यकता है • बिहार में ऋण-जमा (सीडी) अनुपात 58.71 प्रतिशत है जो व्यापार और औद्योगिक विकास के ऋण प्रवाह को बाधित करता है। अतः आयोग को बिहार में बैंको को ऋण देने की गतिविधि बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करके ऋण-जमा अनुपात बढ़ाने के उपाय शुरू करना चाहिए • बिहार को बुनियादी ढांचा, नागरिक सुविधाओं और औद्योगिक विकास के समग्र विकास के लिए विशेष अनुदान प्रदान करना चाहिए विशेष रूप से नए हवाई अड्डे, राज्य के भीतर गैस पाइपलाइन बिछाने, मेट्रो रेल प्रणाली और भूमि खरीदने के लिए ताकि राज्य औद्योगिक उद्देश्य के लिए अपना स्वयं का भूमि बैंक बना सके • बिहार एक पिछड़ा राज्य है और बाढ़ का कारण मुख्य रूप से नेपाल से निकलने वाली नदियाँ हैं, जिन्हें केवल केन्द्र सरकार के हस्तक्षेप से ही रोका जा सकता है। ऐसी स्थिति में केन्द्र सरकार से सहायता के रूप में दी जाने वाली राशि प्रभावित होती है • केन्द्रीय करों में बिहार की हिस्सेदारी में लगातार वित्त आयोग की अवधि में गिरावट आई है। 11वें वित्त आयोग के अंतर्गत बिहार को केन्द्रीय करों का लगभग 14.597 आवंटित किया गया। हलांकि 15वें वित्त आयोग के तहत 2021-2026 की अवधि के लिए यह हिस्सा घटाकर 10.061 कर दिया गया। बिहार को वित्तीय वर्ष 2023-24 एवं 2024-25 के लिए केन्द्रीय कर आय में क्रमशः 1,02,737 करोड़ प्राप्त हुए और 1,13,012 करोड़ प्राप्त होने की उम्मीद है। इस गिरावट को उलटना बिहार के दीर्घकालिक राजकोषीय स्वास्थ्य और आर्थिक स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण है • बिहार का राजकोषीय घाटा 2023-24 (संशोधित अनुमान) में 76,466 करोड़ रुपया रहा एवं 2024-2025 (बजट अनुमान) में 29,095 करोड़ होने का अनुमान है। इन चुनौतियों के कारण, बिहार खराब बुनियादी ढांचे और सीमित औद्योगिक विकास से जूझ रहा है। इस असंतुलन को दूर करने के लिए यह आवश्यक है कि 16वें वित्त आयोग को बिहार के सड़क नेटकर्क, रेल संपर्क और औद्योगिक केंद्रों सहित बुनियादी ढांचे के विकास के लिए विशेष अनुदान प्रदान करने पर विचार करना चाहिए। इससे न केवल राज्य के आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि बिहार को संरचनात्मक नुकसान से उबरने तथा अन्य राज्यों के साथ समानता हासिल करने में भी मदद मिलेगी। बिहार के रेलवे नेटवर्क को राष्ट्रीय मानकों के बराबर लाने के लिए भूमि अधिग्रहण, क्षमता विस्तार और सुविधाओं के आधुनिकीकरण जैसे मुद्दों का समाधान करना महत्वपूर्ण है। इसलिए इन दीर्घकालिक बाधाओं को दूर करने तथा राज्य की जनता के लिए कुशल रेल सेवाएं सुनिश्चित करने के लिए आगे वित्तीय सहायता तथा केन्द्रीय पहल आवश्यक है।

(साभार : राष्ट्रीय सहारा, 21.3.2025)

आइएमसी गया बना राज्य का सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र

बिहार सरकार ने इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर (आइएमसी) गया को औद्योगिक क्षेत्र के रूप में अधिसूचित कर दिया है। इस तरह औद्योगिक क्षेत्र के रूप में राज्य सरकार की तरफ से दी जाने वाली सभी सहूलियत हासिल हो जायेगी। यह बिहार में सबसे बड़ा औद्योमिक क्षेत्र बन गया है। डोभी में यह 1670.22 एकड़ में फैला हुआ है। उद्योग मंत्री नीतीश मिश्र का कहना है कि बिहार के इस सबसे बड़े औद्योगिक क्षेत्र के विकास से रोजगार के नये अवसर मिलेंगे। नये उद्योगों को स्थापित करने के लिए सरकार की तरफ से खास प्रोत्साहन दिया जायेगा। बियाडा की तरफ से इसका विकास किया जा रहा है। इसमें राज्य सरकार ने 1652 एकड़ जमीन अधिग्रहित कर ली है। शेष 18 एकड़ जमीन के अधिग्रहण की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। इस परियोजना की लागत 1,339 करोड़ रुपये है। इसमें 462 करोड़ रुपये भूमि अधिग्रहण की लागत है। इस परियोजना के लिए जल संसाधन विभाग और वन एवं पर्यावरण विभाग से अनुमति मिल गयी है।

नौ क्षेत्रों के उद्योग लगाने की अनुमति : इस औद्योगिक क्षेत्र में उद्योग स्थापित करने के लिए नौ क्षेत्रों के उद्योगों को अनुमति दी गयी है। इसमें कृषि या खाद्य प्रसंस्करण, वस्त्र, ऑटो पार्ट, स्टील आधारित उत्पाद निर्माण, मेडिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण, भवन निर्माण सामग्री, फर्नीचर, हैंडिक्रॉफ्ट और हैंडलूम शामिल हैं। यह केन्द्र राज्य में औद्योगिक विकास की नयी परिपाटी लिखेगा।

(साभार : प्रभात खबर, 11.3.2025)

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के विकास का नया रास्ता खुलेगा

नीति आयोग ने की अलग-अलग नीति बनाने की अनुशंसा

बिहार के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के विकास का नया रास्ता खुलेगा। इनके लिए अलग-अलग नीति बनाने की तैयारी है। पिछले दिनों नीति आयोग ने एमएसएमई से संबंधित अपनी रिपोर्ट में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम के लिए अलग नीति बनाने की अनुशंसा केन्द्र सरकार से की है। माना जा रहा है कि इसका सर्वाधिक लाभ बिहार को होगा। राज्य सरकार पहले से एमएसएमई को लेकर गंभीर पहल कर रही है। इसके सकारात्मक परिणाम आ रहे हैं। नयी पहल से इस सेक्टर को आगे बढ़ने का नया अवसर मिलेगा। योजना एवं विकास विभाग के अनुसार बिहार में नयी संभावनाओं के द्वार भी खुलेंगे। तीनों के लिए अलग-अलग नीति बनने से तीनों को अपने अनुसार वृद्धि का अवसर मिलेगा। नई नीति का उद्देश्य भी यही है कि जरूरत के हिसाब से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम को प्रोत्साहन मिले और तीनों सेक्टर समेकित रूप से आगे बढ़ सकें। यदि इनके लिए अलग-अलग नीति होगी तो हर सेक्टर में अपेक्षित वृद्धि देखने को मिलेगी। अभी ऐसी बात नहीं है। दरअसल, मौजूदा नीतियाँ सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को एक ही ढांचे में रखकर बनाई गई है। **(साभार : हिन्दुस्तान, 7.3.2025)**

पहली बार उद्यमी बनीं महिलाओं को दो करोड़ तक ऋण

निवेश व कारोबारी सुगमता के सुधारों पर बजट बाद वेबिनार में पीएम ने कहा - पाँच लाख लाभुकों को मिलेगा लाभ, पीएम ने एमएसएमइ को सही समय पर धन पहुँच पर दिया बल

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने देश भर में छह करोड़ से अधिक सूक्ष्म, लघु और मझोली इकाइयों (एमएसएमइ) को समय पर और कम लागत वाले धन तक पहुँच सुनिश्चित करने के लिए ऋण वितरण के नये तरीके बढ़ाने की आवश्यकता पर बल दिया है। उन्होंने कहा कि सरकार की ओर से पहली बार उद्यम शुरू कर रहीं पाँच लाख महिलाओं, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उद्यमियों को दो करोड़ रुपये तक का कर्ज दिया जायेगा। पीएम मोदी ने कहा कि आज भारत वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए वृद्धि का इंजन है। भारत ने कठिन समय में भी अपनी जुझारू क्षमता साबित की है। आज हर देश भारत के साथ अपनी आर्थिक साझेदारी को मजबूत करना चाहता है। हमारे विनिर्माण क्षेत्र को इसका लाभ उठाना चाहिए । वह मंगलवार को नियामकीय निवेश व कारोबारी सुगमता के सुधारों पर बजट-बाद वेबिनार को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि विश्व भारत को वृद्धि केन्द्र के रूप में देख रहा है।

एमएसएमइ को विशेष मार्गदर्शन की भी जरूरत : प्रधानमंत्री ने कहा कि एमएसएमइ को न केवल कर्ज, बल्कि मार्गदर्शन की भी जरूरत है। उन्होंने सुझाव दिया कि उद्योगों को उनके समर्थन के लिए मार्गदर्शन कार्यक्रम शुरू करने चाहिए। किसी भी देश की प्रगति के लिए स्थिर नीति और बेहतर कारोबारी माहौल महत्वपूर्ण है। सरकार ने केन्द्र और राज्य स्तर पर 40,000 से अधिक अनुपालन समाप्त कर दिये हैं और जन विश्वास 2.0 विधेयक पर काम कर रही है।

विनिर्माण-निर्यात बढ़ाने के लिए दो मिशन होंगे शुरूः पीएम ने कहा कि हम जन विश्वास 2.0 विधेयक पर काम कर रहे है। हमने गैर-वित्तीय क्षेत्र के नियमों की समीक्षा के लिए एक समिति गठित करने का निर्णय लिया है। हमारा प्रयास उन्हें लोगों के अनुकूल और विश्वास आधारित बनाना है। सरकार विनिर्माण और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए दो मिशन शुरू करेगी। उन्होंने उद्योग जगत से ऐसे नये उत्पादों की पहचान करने को कहा, जिनका विनिर्माण देश में किया जा सके। **(साभार : प्रभात खबर, 5.3.2025)**

फरवरी में जीएसटी संग्रह 9.1 प्रतिशत बढ़कर 1.84 लाख करोड़ रहा

जीएसटी संग्रह में बढ़ोतरी का सिलसिला जारी है। इस साल फरवरी में जीएसटी संग्रह 1,83,646 करोड़ रहा है जो पिछले साल के समान महीने के मुकाबले 9.1 प्रतिशत अधिक है। जीएसटी संग्रह में लगातार बढ़ोतरी वस्तुओं में बिक्री में वृद्धि को दर्शाता है, जो अर्थव्यवस्था के लिए अच्छे संकेत है।

चालू वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान अब तक जीएसटी संग्रह में गत वित्त वर्ष की समान अवधि की तुलना में 9.4 प्रतिशत का इजाफा रहा। चालू वित्त वर्ष में अप्रैल 2024 से फरवरी 2025 का कुल जीएसटी संग्रह 20,12,720 करोड़ रुपये रहा। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, इस साल फरवरी में जीएसटी संग्रह में एसजीएसटी की हिस्सेदारी 43,704 करोड़, सीजीएसटी की 35,204 करोड़ तो आइजीएसटी की हिस्सेदारी 90,870 करोड़ रुपये रही है। सेस के मद में 13,868 करोड़ रुपये वसूले गए हैं। फरवरी के दौरान 20,889 करोड़ रुपये का रिफंड जारी किया गया है। इसमें पिछले वर्ष फरवरी के मुकाबले 17.3 प्रतिशत की वृद्धि रही है। इस प्रकार पिछले महीने शुद्ध जीएसटी संग्रह 8.1 प्रतिशत बढ़कर 1.63 लाख करोड़ रुपये रहा है।

टैक्स कनेक्ट एडवाइजरी के पार्टनर विवेक जालान के मुताबिक, जीएसटी संग्रह में लगातार मजबूती की वजह से चालू वित्त वर्ष में राजकोषीय घाटे की जीडीपी के 4.8 प्रतिशत तक रखने में मदद मिलेगी। **(साभार : दैनिक जागरण, 2.3.2025)**

यूपीआई से दो हजार तक लेनदेन पर छूट एक वर्ष बढ़ी

केन्द्र सरकार ने दो हजार रुपये तक यूपीआई लेनदेन को अगले वर्ष तक शुल्क मुक्त रखने का फैसला लिया है। कैबिनेट की बैठक में मर्चेंट डिस्काउंट रेट और लागत मुक्त डिजिटल लेनदेन के लिए प्रोत्साहन योजना के तहत 1500 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई।

केन्द्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि छोटे व्यापारियों के लिए दो हजार तक के यूपीआई लेनदेन पर प्रति लेनदेन मूल्य 0.15% का प्रोत्साहन दिया जाएगा। स्वीकृत दावा राशि का 80% हर तिमाही में बिना शर्त मिलेगा। शेष 20% बैंक की तकनीकी गिरावट 0.75% से कम होने और शेष 10% सिस्टम अपटाइम 99.5% से ज्यादा होने पर मिलेगा।

(साभार : हिन्दुस्तान, 20.3.2025)

धोखाधड़ी रोकने के लिए यूपीआई से भुगतान का तरीका बदला जाएगा

यूपीआई के जरिए होने वाली धोखाधड़ी को रोकने के लिए भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई) बड़ा बदलाव करने की तैयारी में है। इसके तहत यूपीआई से भुगतान करने और रकम प्राप्त करने का तरीका बदला जा सकता है। बताया जा रहा है कि एनपीसीआई ने बैंकों के साथ मिलकर पुल ट्रांजेक्शन को सीमित या खत्म करने की योजना बनाई है। पुल ट्रांजेक्शन यह व्यवस्था है, जिसके जरिए कोई कारोबारी या दुकानदार अपने ग्राहक को भुगतान अनुरोध भेजता है और ग्राहक उसे स्वीकृति देकर रकम का भुगतान करता है। इस सुविधा का धोखाधड़ी के मामलों में सबसे अधिक इस्तेमाल हो रहा है। जालसाज फर्जी मर्चेंट बनकर ग्राहकों को भुगतान अनुरोध भेजते हैं और ग्राहक अनजाने में उसे स्वीकृत कर देते हैं।

क्यूआर कोड को बढ़ावा : एपीसीआई चाहता है कि पुल ट्रांजेक्शन के बजाए क्यूआर कोड और पुश भुगतान को बढ़ावा दिया। क्यूआर कोड भुगतान कोड को स्कैन कर रकम चुकानी होती है। वहीं, पुश भुगतान में आप सीधे ही किसी को पैसे भेज सकते हैं।

(साभार : हिन्दुस्तान, 19.3.2025)

एक अप्रैल से लागू होंगे जीएसटी के नए नियम

• सभी के लिए अनिवार्य होगा मल्टी फैक्टर आथेंटिकेशन, डाटा की चोरी व फर्जीवाड़ा नहीं होगा आसान • 10 करोड़ रुपये टर्नओवर पर 30 दिनों में ई-इनवायस की जानकारी अनिवार्य • 18 प्रतिशत जीएसटी लगेगा पुरानी सामान्य और इलेक्ट्रिक कारों की बिक्री पर

आगामी एक अप्रैल से जीएसटी में पंजीकृत सभी यूजर्स के लिए मल्टी फैक्टर आथेंटिकेशन (एमएफए) नियम लागू होने जा रहा है। एमएफए लागू होने से जीएसटी इस्तेमाल करने वाले किसी अन्य यूजर के डाटा को चुराना और जीएसटी में किसी प्रकार का फर्जीवाड़ा करना आसान नहीं होगा। एमएफए के तहत वन टाइम पासवर्ड (ओटीपी) के बिना यूजर लाग इन नहीं कर पाएँगे। इसलिए सभी यूजर को इस माह में जीएसटी पोर्टल पर अपने फोन नंबर को अपडेट कर लेना चाहिए ताकि ओटीपी प्राप्त करने में कोई दिक्कत नहीं हो।

इस साल एक जनवरी से प्रयोगात्मक तौर पर 20 करोड़ रुपये से अधिक टर्नओवर वालों के लिए एमएफए लागू किया गया था। फिर गत एक फरवरी से पाँच करोड़ टर्नओवर वालों के लिए अनिवार्य किया गया। अब एक अप्रैल से सभी यूजर्स के लिए इसे अनिवार्य किया जा रहा है। आगामी एक अप्रैल से ई-वे बिल के नियम में भी बदलाव किया जा रहा है। एक अप्रैल से 10 करोड़ रुपये से अधिक टर्नओवर वाले कारोबारियों को 30 दिनों के भीतर अपने ई-इनवायस की जानकारी इनवायस रजिस्ट्रेशन पोर्टल (आइआरपी) पर देना अनिवार्य होगा। 30 दिनों के भीतर जानकारी नहीं देने पर इनवायस खारिज हो जाएगा। अभी यह नियम 100 करोड़ रुपये और इससे अधिक टर्नओवर वालों के लिए लागू है।

होटल के रेस्टोरेंट में खाना हो सकता है महंगा : आगामी एक अप्रैल से होटल के रेस्टोरेंट में खाना थोड़ा महंगा हो सकता है। एक अप्रैल से 7, 500 रुपये से कम रूम किराये वाले होटल के लिए 18 प्रतिशत जीएसटी के साथ इनपुट टैक्स क्रेडिट (आइटीसी) लेने की सुविधा उपलब्ध होगी। अभी जिन होटल में कमरे का किराया 7,500 रुपये से कम है, वहाँ के रेस्टोरेंट में खाना खाने पर पाँच प्रतिशत जीएंसटी लगता है। अगर ये होटल वाले 18 प्रतिशत जीएसटी के साथ आइटीसी की सुविधा का विकल्प चुनते हैं तो इन होटलों के रेस्टोरेंट में खाना महंगा हो जाएगा। इसी तरह, एक अप्रैल से पुरानी सामान्य एवं इलेक्ट्रिक कार की बिक्री पर 12 प्रतिशत की जगह 18 प्रतिशत जीएसटी लगेगा। यह नियम पुरानी कारों की बिक्री करने वाली एजेंसियों या कंपनियों पर लागू होगा। व्यक्तिगत रूप से पुरानी कारों की बिक्री करने वाले इससे प्रभावित नहीं होंगे।

होटल में कमरे के किराये से अलग हो भोजन, पेय पदार्थों पर जीएसटी

फेडरेशन आफ होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन आफ इंडिया (एफएचआरएआइ) ने होटल में कमरे के किराये से खाद्य और पेय सेवाओं पर जीएसटी को अलग करने की वकालत की। एफएचआरएआइ ने कहा कि खाद्य और पेय (एफएंडबी) कराधान को होटल के कमरे के किराये से जोड़ने का मौजूदा चलन अनुचित है। साथ ही यह आतिथ्य उद्योग के लिए परिचालन की दृष्टि से चुनौतीपूर्ण भी है। वर्तमान जीएसटी ढांचे के तहत, जो होटल प्रति कमरा प्रतिदिन 7,500 रुपये या उससे अधिक शुल्क लेते हैं, उन्हें इनपुट टैक्स क्रेडिट (आइटीसी) लाभ के साथ एफएडबी सेवाओं पर 18 प्रतिशत जीएसटी देना होगा, जबकि इस सीमा से कम शुल्क वाले होटलों को आइटीसी के बिना पाँच प्रतिशत जीएसटी देना होगा।

एफएचआरएआइ के वाइस प्रेसिडेंट प्रदीप शेट्टी ने बताया कि जैसे ही कोई होटल 7500 रुपये से अधिक का कमरा देता है, तो उसी होटल के रेस्तरां के लिए जीएसटी पर पाँच प्रतिशत से 18 प्रतिशत हो जाती है। इसलिए हमने इसे अलग करने के लिए अनुरोध किया है।

(साभार : दैनिक जागरण, 10.3.2025)

एमएसएमई को अब आनलाइन डाटाबेस स्कोरिंग के आधार पर मिलेगा लोन

• वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एमएसएमई के लिए नया क्रेडिट मूल्यांकन माडल लांच किया • क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट के तहत लोन के लिए कोई जमानत देने की भी नहीं होगी आवश्यकता

एमएसएमई को लोन देने के लिए बैंक अब किसी थर्ड पार्टी या उनके टर्नओवर की जानकारी पर निर्भर नहीं रहेंगे। बैंक बाहरी मूल्यांकन पर निर्भरता के बजाय अपनी आंतरिक क्षमता विकसित करेंगे और यह पूरी तरह से डिजिटल और डाटाबेस पर आधारित होगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और वित्त राज्यमंत्री पंकज चौधरी ने नया क्रेडिट मूल्यांकन माडल लांच किया। इसकी घोषणा पिछले बजट में की गई थी।

इस माडल की मदद से लोन के लिए एमएसएमई को बैंक या अन्य कहीं जाने की आवश्यकता नहीं होगी। वे कहीं से भी आवेदन कर

सकते हैं और किसी प्रकार की कागजी कार्रवाई भी नहीं करनी होगी। इस माध्यम को अपनाने का यह भी फायदा होगा कि डिजिटल माध्यम से लोन को तत्काल सैद्धांतिक मंजूरी मिलेगी। ऋण प्रस्तावों को बिना किसी बाधा के आगे बढ़ाया जा सकेगा, परिचालन व सेवा प्रदान करने में कम समय लगेगा और डाटा के आधार पर निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से लोन दिए जा सकेंगे। क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फार माइक्रो एंड स्माल इंटरप्राइजेज के तहत लोन के लिए जमानत देने की जरूरत नहीं होगी।

इस तरह किया जाएगा ऋण लेने वाले उद्यमी का सत्यापन : नए माडल के तहत आवेदनकर्ता का डिजिटल और सत्यापन योग्य उपलब्ध डाटा का इस्तेमाल किया जाएगा। इससे एमएसएमई से जुड़े नए उद्यमियों को भी लोन लेने में आसानी होगी। नेशनल सिक्योरिटीज डिपोजिटरी लिमिटेड के उपयोग से नाम और पैन का सत्यापन किया जाएगा, ओटीपी की मदद से ई-मेल और फोन नंबर का सत्यापन होगा, इनकम टैक्स रिटर्न, बैंक स्टेटमेंट से वित्तीय विश्लेषण होगा। एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस से आवेदक की कमर्शियल व उपभोक्ता जानकारी ली जाएगी। डिजिटल डाटा से आवेदक की छवि की जाँच की जाएगी।

(साभार : दैनिक जागरण, 7.3.2025)

मेड इन बिहार रेल इंजन का जल्द निर्यात होगा : वैष्णव

रेलमंत्री ने राज्यसमा में चर्चा का जवाब दिया

• मढ़ौरा रेल फैक्ट्री में बने 100 इंजन निर्यात होंगे

रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने 17.3.2025 को राज्यसभा में कहा कि बिहार के मढ़ौरा स्थित रेल कारखाने में तैयार होने वाले इंजन का बहुत जल्द निर्यात शुरू हो जाएगा। 'मेड इन बिहार' लोकोमोटिव दुनिया में जाने वाला है। रेल मंत्री ने कहा कि बिहार में सारण के मढ़ौरा में इस फैक्टरी में बने करीब 100 लोकोमोटिव का जल्द निर्यात शुरू होने वाला है। 2014 से उस फैक्टरी पर काम चालू किया गया।

रेल मंत्रालय के कामकाज पर उच्च सदन में हुई चर्चा का जवाब देते हुए वैष्णव ने कहा कि माल यातायात दोनों में वृद्धि हुई है। भारत से रेल के डिब्बों का भी विभिन्न देशों को निर्यात किया जा रहा है। वैष्णव ने कहा कि यात्री तथा माल यातायात दोनों में वृद्धि देखी जा रही है। उन्होंने जोर दिया कि रेलवे माल ढुलाई से राजस्व अर्जित करते हुए यात्री किराए में सब्सिडी देता है। प्रति किलोमीटर वास्तविक लागत 1.38 रुपये है जबकि यात्रियों से 72 पैसे ही लिए जाते हैं। अगर 350 किलोमीटर की यात्रा को देखें, तो भारत में सामान्य श्रेणी का किराया 121 रुपये है। वहीं पाकिस्तान में यह 400 रुपये और श्रीलंका में 413 रुपये है।

(साभार : हिन्दुस्तान, 18.3.2025)

कोईलवर व मोकामा तक गंगा पथ के विस्तार के लिए अगले माह होगा टेंडर

खर्च होंगे 7561 करोड़

जेपी गंगापथ का दीघा से कोईलवर के वीर कुंवर सिंह सेतु तक और दीदारगंज से मोकामा तक विस्तार करने को मंजूरी मिलने के बाद से इसके निर्माण को लेकर प्रक्रिया तेज हो गयी है। इसके के निर्माण को लेकर चयनित कंसल्टेंट द्वारा प्रिलिमिनरी प्रोजेक्ट रिपोर्ट (पीपीआर) इस माह के अंत तक सौंपी जायेगी, जिसके आधार पर डीपीआर बनाने के साथ टेंडर निकालने का काम अगले माह होगा।

दीघा से कोईलवर तक और दीदारगंज से अथमलगोला तक जेपी गंगापथ का निर्माण कार्य बिहार राज्य पथ विकास निगम की देखरेख में होगा, जबकि अथमलगोला से मोकामा तक इसका निर्माण पथ निर्माण विभाग की देखरेख में होगा। सीएम की पटना जिले की 21 फरवरी को प्रगति यात्रा के दौरान जेपी गंगापथ के विस्तार की घोषणा की गयी थी। इसके बाद 25 फरवरी को प्रोजेक्ट को प्रशासनिक स्वीकृति दी गयी। निर्माण के कार्य में तेजी लाने की प्रक्रिया को लेकर पथ निर्माण मंत्री ने समीक्षा की।

इन सात पुलों से होगी कनेक्टिविटी : • कोईलवर पुल • शेरपुर-दिघवारा पुल (निर्माणाधीन) • जेपी सेतु • महात्मा गाँधी सेतु • कच्ची दरगाह-बिदुपुर पुल (निर्माणाधीन) • बख्यियारपुर-ताजपुर सेतु (निर्माणाधीन) • राजेन्द्र सेतु

उत्तर व दक्षिण बिहार आने-जाने में सहूलियत : "जेपी गंगापथ के विस्तार को लेकर प्रक्रिया तेजी से हो रहा है। प्राइमरी रिपोर्ट इस माह मिलने पर अगले माह टेंडर निकालने की प्रक्रिया शुरू होगी। जेपी गंगापथ का विस्तार होने से सात पुलों से कनेक्टिविटी होने से उत्तर व दक्षिण बिहार आने-जाने में सहूलियत बढ़ेगी।"

– **नितिन नवीन,** पथ निर्माण मंत्री

(विस्तृत : प्रभात खबर, 19.3.2025)

आयु पूरी होने पर वाहन को 180 दिन के भीतर कराना होगा जमा

वन एवं पर्यावरण मंत्रालय ने जारी किए नए स्क्रैपिंग नियम एक अप्रैल से होंगे लागू, न मानने पर होगी कार्रवाई

यदि आपके वाहन ने 15 साल की आयु पूरी कर ली है और उसका रजिस्ट्रेशन आगे नहीं बढ़ाया गया है तो उसे घर पर रखना अब गैरकानूनी होगा। नए स्क्रैपिंग नियमों के तहत आयु पूरी करने के 180 दिनों के भीतर वाहन को पंजीकृत स्क्रैपिंग या संग्रहण केन्द्रों पर जमा करना अनिवार्य होगा। ऐसा न करने पर वाहन स्वामी के खिलाफ मोटर व्हीकल एक्ट के तहत जुर्माना, वाहन का रजिस्ट्रेशन रद करने के अलावा अन्य कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। देशभर में एक अप्रैल से ये नियम प्रभावी होंगे। इसके साथ ही वाहन निर्माताओं को भी हर साल एक तय मानक के तहत वाहनों की स्क्रैपिंग का प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा, तभी उन्हें नए वाहनों के निर्माण की अनुमति मिलेगी। इन नियमों से कृषि कार्य में लगे वाहनों को मुक्त रखा गया है।

(साभार : दैनिक जागरण, 25.3.2025)

एटीएम से राशि निकालने पर अधिक शुल्क लगेगा

एक मई से एटीएम से राशि निकालना महँगा पड़ सकता है। दरअसल, आरबीआई ने एटीएम इंटरचेंज शुल्क बढ़ाने की मंजूरी दे दी है। ऐसे में एक मई से नकदी निकालने की फीस दो रुपये और गैर-वित्तीय लेन- देन जैसे खाते में रकम जाँचने का शुल्क एक रुपये बढ़ जाएगा। यानी अब नकद निकाले पर इंटरचेंज शुल्क 17 रुपये से

बढ़कर 19 रुपये और खाते की राशि जाँचने का शुल्क छह रुपये से बढ़कर सात रुपये हो जाएगा। ये बदलाव छोटे बैंकों पर ज्यादा असर डालेंगे, जिनके पास अपना एटीएम नेटवर्क छोटा है।

सूत्रों के मुताबिक, एटीएम ऑपरेटर्स ने फीस बढ़ाने की मांग की थी, क्योंकि पुरानी फीस से उनके लिए काम करना मुश्किल हो रहा था। ऐसे में बैंक खुद पर पड़ने वाले बोझ को कम करने के लिए शुल्क बढ़ाकर ग्राहकों से इसकी भरपाई करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल, मेट्रो शहरों में ग्राहक अगर दूसरे बैंकों के एटीएम का इंस्तेमाल करते हैं तो हर महीने उन्हें पाँच नि: शुलक लेन-देन करने की छूट है।

(साभार : दैनिक जागरण, 25.3.25)

एमएसएमई के निवेश व टर्नओवर नियम एक अप्रैल से बदल जाएँगे

नए नियमों के तहत 2.5 करोड़ रुपये तक के निवेश और पाँच करोड़ टर्नओवर वाले उद्यमों को माना जाएगा सूक्ष्म उद्यम

सरकार ने सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उद्यम (एमएसएमई) को वर्गीकृत करने के लिए कुल कारोबार और निवेश मानदंडों में महत्वपूर्ण संशोधनों को अधिसूचित कर दिया है। ये एक अप्रैल से लागू होंगे। अब 2.5 करोड़ रुपये तक के निवेश वाले उद्यमों को 'सूक्ष्म उद्यम' के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा। इसकी सीमा पहले एक करोड़ रुपये की थी। कुल कारोबार (टर्नओवर) की सीमा भी 5 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 10 करोड़ रुपये कर दी गई है।

वहीं 25 करोड़ रुपये तक के निवेश वाली इकाइयों को 'लघु उद्यम' के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा, जिसकी पहले सीमा 10 करोड़ रुपये थी। ऐसे उद्यमों के लिए कुल कारोबार की सीमा 50 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 100 करोड़ रुपये कर दी गई है। इसके अलावा 125 करोड़ रुपये तक के निवेश वाले उद्यम को अब 'मध्यम उद्यम' माना जाएगा। पहले यह सीमा 50 करोड़ रुपये थी। मध्यम उद्यमों के लिए कुल कारोबार की सीमा दोगुनी करके 500 करोड़ रुपये कर दी गई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में एमएसएमई के लिए नए वर्गीकरण मानदंडों की घोषणा की थी, जिसमें वर्गीकरण के लिए निवेश तथा कुल कारोबार की सीमा को क्रमश: 2.5 गुना और दो गुना बढ़ाने का प्रस्ताव था। **(साभार : दैनिक जागरण, 25.3.2025)**

वाहन के रजिस्ट्रेशन में 31 तक अपडेट करवा लें मोबाइल नंबर

2014 से जनवरी 2025 तक पटना सहित राज्य भर के करीब 24 लाख वाहनों के रजिस्ट्रेशन कार्ड में मोबाइल नंबर अपडेट नहीं है। 31 मार्च के बाद इन वाहनों का पॉल्यूशन सर्टिफिकेट नहीं बनेगा। अप्रैल से मोबाइल नंबर अपडेट कराने पर जुर्माना भरना पड़ेगा। परिवहन विभाग के मुताबिक, वाहन रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट और ड्राइविंग लाइसेंस में आधार लिंक्ड मोबाइल नंबर अपडेट किए बिना अब प्रदूषण और फिटनेस प्रमाण पत्र जारी नहीं होगा। सितम्बर 2024 से अबतक 32 हजार से अधिक लोगों ने वाहन रजिस्ट्रेशन में अपना आधार लिंक्ड मोबाइल नंबर अपडेट करा लिया है। सॉफ्टवेयर में आवश्यक बदलाव किए जाएंगे, ताकि आधार लिंक्ड मोबाइल नंबर अपडेट होने के बाद ही प्रदूषण और फिटनेस प्रमाण-पत्र जारी हो सके। दरअसल, वाहन रजिस्ट्रेशन और ड्राइविंग लाइसेंस के साथ आधार लिंक्ड मोबाइल नंबर नहीं होने से हादसे की स्थिति में वाहन मालिक और चालक की पहचान में परेशानी होती है। यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर भी ई-चालान की सूचना नहीं मिल पाती है। मोबाइल नंबर अपडेट कराने की सुविधा परिवहन सेवा पोर्टल पर उपलब्ध है। घर बैठे ही वाहन रजिस्ट्रेशन में वेबसाइट parivahan.gov.in और ड्राइविंग लाइसेंस में sarathi.parivahan.gov.in के माध्यम से मोबाइल नंबर अपडेट कर सकते हैं।

(साभार : दैनिक भास्कर, 24.3.2025)

ऑनलाइन विज्ञापन पर शुल्क खत्म होंगे

सरकार ने वित्त विधेयक-2025 में 59 संशोधनों के तहत ऑनलाइन विज्ञापनों पर समानीकरण शुल्क या डिजिटल कर को एक अप्रैल से खत्म करने का प्रस्ताव रखा। विधेयक पर लोकसभा में बहस हो रही है। इस कदम से गूगल, एक्स और मेटा जैसे डिजिटल मंचों को फायदा होगा। विशेषज्ञों के अनुसार, ऑनलाइन विज्ञापनों पर समानीकरण शुल्क को हटाने का प्रस्ताव अमेरिका के प्रति एक उदार रुख दिखाने के लिए लाया गया है। गौरतलब है कि अमेरिका ने दो अप्रैल से भारत पर जवाबी शुल्क लगाने की बात कही है। समानीकरण शुल्क एक जून, 2016 को ऑनलाइन विज्ञापन सेवाओं पर लगाया गया था। **(साभार : हिन्दुस्तान, 25.3.2025)**

(साभार : हिन्दुस्तान, 26.3.2025)

BIHAR ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION

Existing, Proposed and Approved retail tariff (Without Govt Subsidy) for NBPDCL and SBPDCL for FY 2025-26

SCHEDULE OF TARIFF RATES

Sl No.	Category/Subcategory of Consumers	Approved Tariff for NBPDCL and SBPDCL for FY 2024-25 (Existing)			Proposed by Discom for FY 2025-26			Approved Tariff for NBPDCL and SBPDCL area for FY 2025-26		
		Fixed charge	Energy Charge		Fixed charge	Energy Charge		Fixed charge	Energy Charge	
			Energy Rate	Unit slabs		Energy Rate	Unit slabs		Energy Rate	Unit slabs
A	LOW TENSION SUPPLY									
1	Domestic									
1.1	Kutir Jyoti	Rs.20/Month/ Connection	Rs.7.42/kWh	0-50 units	Rs.20/Month/ Connection	Rs.7.42/kWh	0-50 units	Rs.20/Month/ Connection	Rs.7.42/kWh	0-50 units
			As per DS-I or DS-II	Above 50 units		As per DS-I or DS-II	Above 50 units		As per DS-I or DS-II	Above 50 units
1.2	DS-I Rural	Rs. 40/kW or part/month	Rs.7.42/ kWh	0-50 units	Rs. 40/kW or part/month	Rs.7.42/ kWh	For entire consumption	Rs. 40/kW or part/month	Rs.7.42/ kWh	For entire consumption
			Rs.7.96/ kWh	Above 50 units						
1.3	DS-II	Rs.80/kW or part/month	Rs.7.42/ kWh	1-100	Rs.80/kW or part/month	Rs.7.42/ kWh	1-100	Rs.80/kW or part/month	Rs.7.42/ kWh	1-100
	(Demand based)		Rs.8.95/ kWh	Above 100		Rs.8.95/ kWh	Above 100		Rs.8.95/ kWh	Above 100
1.4	DS-III (Demand based) (optional)	Rs.80/kW or part/month	Rs.9.03/ kWh	All Units	Rs.80/kW or part/month	Rs.9.03/ kWh	All Units	Rs.80/kW or part/month	Rs.9.03/ kWh	All Units
2	Non-Domestic									
2.1	NDS-I Rural (Metered)									
2.1.1	NDS-I Rural (Metered)	Rs. 60/kW or part/month	Rs.7.79/kWh	1-100	Rs. 60/kW or part/month	Rs.7.79/kWh	1-100	Rs. 60/kVA or part/ month	Rs.7.79/kVAh	1-100
			Rs.8.21/kWh	Above 100		Rs.8.21/kWh	Above 100		Rs.8.21/kVAh	Above 100
2.2	NDS-II (Demand based)									
2.2.1	NDS-II Contract load upto 0.5 kW	Rs. 200/ month/ connection	Rs.7.73/ kWh	All Units	Rs. 200/month/ connection	Rs.7.73/ kWh	All Units	Rs. 200/month/ connection	Rs.7.73/ kWh	All Units
2.2.2	NDS-II Contract demand above 0.5 kW and upto 70kW	Rs. 300/kW or part/month	Rs.7.73/kWh	1-100	Rs. 300/kW or part/ month	Rs.7.73/kWh	1-100	Rs. 300/kVA or part/month	Rs.7.73/kVAh	1-100
			Rs.8.93/kWh	Above 100		Rs.8.93/kWh	Above 100		Rs.8.93/kVAh	Above 100
3	Irrigation and Agriculture Services (Connected load based)									
3.1	IAS-I (Unmetered)	Rs.1350/HP or part/month	–		Rs.1350/HP or part/month	–		Rs.1350/HP or part/month	–	
3.2	IAS-I (Metered)	Rs. 100/HP or part/month	Rs.6.74/ kWh	All Units	Rs. 100/HP or part/month	Rs.6.74/ kWh	All Units	Rs. 100/HP or part/month	Rs.6.74/ kWh	All Units
3.3	IAS-II (Metered) (Demand based)	Rs. 500/kVA or part/month	Rs.7.17/kVAh	All Units	Rs. 500/kVA or part/month	Rs.7.17/kVAh	All Units	Rs. 500/kVA or part/month	Rs.7.17/kVAh	All Units
4	Low Tension Industrial (Demand based kVAh)									
4.1	LTIS-I	Rs.288/kVA or part/month	Rs.7.79/kVAh	All Units	Rs.288/kVA or part/month	Rs.7.79/kVAh	All Units	Rs.288/kVA or part/month	Rs.7.79/kVAh	All Units
4.2	LTIS-II	Rs 360/kVA or part/month	Rs.7.79/kVAh	All Units	Rs 360/kVA or part/month	Rs.7.79/kVAh	All Units	Rs 360/kVA or part/month	Rs.7.79/kVAh	All Units
5	Public Water Works									

BIHAR ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION
Existing, Proposed and Approved retail tariff (Without Govt Subsidy) for NBPDCL and SBPDCL for FY 2025-26
SCHEDULE OF TARIFF RATES

SI No.	Category/Subcategory of Consumers	Approved Tariff for NBPDCL and SBPDCL for FY 2024-25 (Existing)			Proposed by Discom for FY 2025-26			Approved Tariff for NBPDCL and SBPDCL area for FY 2025-26		
		Fixed charge	Energy Charge		Fixed charge	Energy Charge		Fixed charge	Energy Charge	
			Energy Rate	Unit slabs		Energy Rate	Unit slabs		Energy Rate	Unit slabs
5.1	PWW (Demand based, kVAh]	Rs 630/kVA or part/month	Rs.9.72/kVAh	All Units	Rs 630/kVA or. part/month	Rs.9.72/kVAh	All Units	Rs 630/kVA or part/month	Rs.9.72/kVAh	All Units
5.2	Har Ghar Nal (Connected load based)	Rs 100/HP or part/month	Rs.8.16/ kWh	All Units	Rs 100/HP or part/month	Rs.8.16/ kWh	All Units	Rs 100/HP or part/month	Rs.8.16/ kWh	All Units
6	**Street Light Services**									
6.1	SS-Metered (Connected load based)	Rs 100/kW or part/month	Rs.9.03/ kWh	All Units	Rs 100/kW or part/month	Rs.9.03/ kWh	All Units	Rs 100/kW or part/month	Rs.9.03/ kWh	All Units
6.2	SS-Unmetered	Rs 4250 / KW or part/month	–		Rs 4250 / KW or part/month	–		Rs 4250 / KW or part/month	–	
7	**LT Electrical Vehicle charging stations**		Rs.8.72/ kWh	All Units		Rs.8.72/ kWh	All Units		Rs.8.72/ kWh	All Units
B	**HIGH TENSION SUPPLY – GENERAL**									
1	**HT – General**									
1.1	HTS-I (11 kV)	Rs.550/kVA /Month	Rs.7.98/kVAh	All Units	Rs.550/kVA /Month	Rs.7.98/kVAh	All Units	Rs.550/kVA /Month	Rs.7.98/kVAh	All Units
1.2	HTS-II (33 kV)	Rs.550/kVA /Month	Rs.7.92/kVAh	All Units	Rs.550/kVA/Month	Rs.7.92/kVAh	All Units	Rs.550/kVA/Month	Rs.7.92/kVAh	All Units
1.3	HTS-III (132 kV)	Rs.550/kVA /Month	Rs.7.85/kVAh	All Units	Rs.550/kVA/Month	Rs.7.85/kVAh	All Units	Rs.550/kVA/Month	Rs.7.85/kVAh	All Units
1.4	HTS-IV (220 kV)	Rs.550/kVA /Month	Rs.7.79/kVAh	All Units	Rs.550/kVA/Month	Rs.7.79/kVAh	All Units	Rs.550/kVA/Month	Rs.7.79/kVAh	All Units
1.5	HTS-V (400 kV)	Rs.550/kVA /Month	Rs.7.72/kVAh	All Units	Rs.550/kVA/Month	Rs.7.72/kVAh	All Units	Rs.550/kVA/Month	Rs.7.72/kVAh	All Units
1.6	HT cold storage (11 kV)				Rs.100/kVA/Month	Rs.6.74/kVAh	All Units	Rs.100/kVA/Month	Rs.6.74/kVAh	All Units
2	**HIGH TENSION SUPPLY – INDUSTRIAL**									
2.1	HTIS-I (11 kV)	Rs.550/kVA /Month	Rs.7.98/kVAh	All Units	Rs.550/kVA/Month	Rs.7.98/kVAh	All Units	Rs.550/kVA/Month	Rs.7.98/kVAh	All Units
2.2	HTIS-II (33 kV)	Rs.550/kVA /Month	Rs.7.92/kVAh	All Units	Rs.550/kVA/Month	Rs.7.92/kVAh	All Units	Rs.550/kVA/Month	Rs.7.92/kVAh	All Units
2.3	HTIS-III (132 kV)	Rs.550/kVA /Month	Rs.7.85/kVAh	All Units	Rs.550/kVA/Month	Rs.7.85/kVAh	All Units	Rs.550/kVA/Month	Rs.7.85/kVAh	All Units
2.4	HTIS-IV (220 kV)	Rs.550/kVA /Month	Rs.7.79/kVAh	All Units	Rs.550/kVA/Month	Rs.7.79/kVAh	All Units	Rs.550/kVA/Month	Rs.7.79/kVAh	All Units
2.5	HTIS-V (400 kV)	Rs.550/kVA /Month	Rs.7.72/kVAh	All Units	Rs.550/kVA/Month	Rs.7.72/kVAh	All Units	Rs.550/kVA/Month	Rs.7.72/kVAh	All Units
2.6	HTSS (11 kV/ 33kV)	Rs.800/kVA /Month	Rs.4.94/kVAh	All Units	Rs.800/kVA/Month	Rs.5.94/kVAh	All Units	Rs.800/kVA/Month	Rs.4.94/kVAh	All Units
2.7	HTSS (132 / 220 kV)	Rs.800/kVA /Month	Rs.4.94/kVAh	All Units	Rs.800/kVA/Month	Rs.5.94/kVAh	All Units	Rs.800/kVA/Month	Rs.4.94/kVAh	All Units
2.8	HTS-I (Oxygen manufacturers) 11kV	Rs.1000/kVA /Month	Rs.5.43/kVAh	All units	Rs.1000/kVA/Month	Rs.5.43/kVAh	All units	Rs.1000/kVA/Month	Rs.5.43/kVAh	All units
2.9	HTS-I (Oxygen manufacturers) 33kV	Rs.1000/kVA /Month	Rs.5.37/kVAh	All units	Rs.1000/kVA/Month	Rs.5.37/kVAh	All units	Rs.1000/kVA/Month	Rs.5.37/kVAh	All units
3	**Railway Traction Service (RTS)**	Rs.540/kVA /Month	Rs.8.16/kVAh	All Units	Rs.540/kVA/Month	Rs.8.16/kVAh	All Units	Rs.540/kVA/Month	Rs.8.16/kVAh	All Units
4	**HT Electrical Vehicle charging stations**		Rs.7.85/kVAh	All Units		Rs.7.85/kVAh	All Units		Rs.7.85/kVAh	All Units

बिहार विद्युत विनियामक आयोग

विद्युत भवन-II जवाहर लाल नेहरू मार्ग, पटना-800021

प्रेस विज्ञप्ति **पटना : 28.3.2025**

1. पूर्ववर्त्ती बिहार राज्य विद्युत बोर्ड के पुर्नगठन के उपरांत दिनांक 01.11.2012 के प्रभाव से दो वितरण कंपनियाँ यथा नॉर्थ बिहार पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड (एन. बी. पी. डी. सी. एल) एवं साउथ बिहार पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड (एस. बी. पी. डी. सी. एल) स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में आया । तदोपरांत आयोग दोनों कंपनियों का विद्युत दर (Tariff) आदेश वित्तीय वर्ष 2013-14 से पारित करते आ रहा है।

2. बिहार की वितरण कंपनियों जैसे नॉर्थ बिहार पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड और साउथ बिहार पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए वास्तविक खर्च की स्वीकृति, वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए वार्षिक कार्यकलापों की समीक्षा तथा वित्तीय वर्ष 2025-26 से वित्तीय वर्ष 2027-28 के कंट्रोल अवधि के लिए वार्षिक राजस्व की आवश्यकता और वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए बिजली के खुदरा बिक्री और वित्तीय वर्ष 2025-26 से वित्तीय वर्ष 2027-28 तक के कंट्रोल अवधि के लिए व्यवसायिक योजना याचिका के निर्धारित करने के लिए दिनांक 15.11.2024 को आयोग के समक्ष बहुवर्षीय वितरण टैरिफ याचिका दायर की है। चूँकि टैरिफ निर्धारण संबंधी नियम, सिद्धांत, मापदंड एवं विषय-वस्तु एक ही प्रकार के हैं, अत: इस वर्ष भी आयोग द्वारा दोनों वितरण कंपनियों के लिए एक ही टैरिफ आदेश पारित किया जा रहा है।

3. टैरिफ याचिका (Tariff Petition) को दिनांक 2.1.2025 को सुनवाई हेतु स्वीकृत करने के उपरान्त दिनांक 15.1.2025 को राज्य सलाहकार समिति (एसएसी) की बैठक में प्रस्तावों पर भी चर्चा की गई और बीईआरसी (मल्टी ईयर डिस्ट्रीब्यूशन टैरिफ) विनियमावली, 2021 एवं बीईआरसी (मल्टी ईयर डिस्ट्रीब्यूशन टैरिफ) विनियमावली, 2024 के प्रावधानों के अंतर्गत व्यापक रूप से परामर्श प्राप्त करने के उद्देश्य से विभिन्न समाचार पत्रों एवं वेबसाईटों पर याचिका की संक्षिप्त विवरणी प्रकाशित कर हितधारकों एवं आम-उपभोक्ताओं से सुझाव/आपत्ति एवं मंतव्य प्राप्त किया। आयोग ने इस प्रयोजनार्थ नॉर्थ बिहार पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड एवं साउथ बिहार पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड की संबंधित याचिकाओं पर छपरा में दिनांक 8.2. 2025, दरंभगा में 13.2.2025, मुंगेर में 11.2.2025, जहानाबाद में 15.2.205 एवं आयोग के न्यायालय कक्ष, पटना में दिनांक 20.2. 2025 जन-सुनवाई सम्पन्न किया, ताकि याचिकाओं पर जनता और हितधारकों से सुझाव/मंतव्य एवं आपत्ति प्राप्त किया जा सके। इन सुनवाई के दौरान बड़ी संख्या में लोगों की जनभागीदारी रही तथा आयोग के समक्ष लिखित एवं मौखिक रूप बहुमूल्य सुझाव/मंतव्य एवं आपत्ति प्राप्त हुए। उक्त सुझावों / मंतव्यों एवं आपत्तियों पर दोनों कंपनियों की प्रतिक्रिया भी प्राप्त की गयी।

4. आयोग द्वारा विद्युत अधिनियम, 2003 एवं उसके आलोक में निर्गत बीईआरसी (मल्टी ईयर डिस्ट्रीब्यूशन टैरिफ) विनियमावली, 2021 एवं बीईआरसी (मल्टी) ईयर डिस्ट्रीब्यूशन टैरिफ) विनियमावली, 2024 में उल्लिखित प्रावधानों के अंतर्गत टैरिफ याचिका में दोनों कंपनियों द्वारा दिये गये प्रस्ताव पर आम नागरिकों तथा हितधारकों से प्राप्त सुझावों/मंतव्यों एवं आपत्तियों एवं उस पर दोनों कंपनियों से प्राप्त प्रतिक्रिया पर गहन जाँच कर आज दिनांक 28.3.2025 को दोनों वितरण कंपनियों के लिए एक समान आदेश निर्गत किया जा रहा है।

5. इस टैरिफ आदेश का संक्षेप निम्नवत् है:

- दोनों वितरण कंपनियों द्वारा समर्पित प्रतिवेदन के अनुसार दिनांक 31.3.2024 तक बिहार में लगभग 2.02 करोड़ विद्युत उपभोक्ता हैं। वित्तीय वर्ष 2024-25, वित्तीय वर्ष 2025-26, वित्तीय वर्ष 2026-2027 एवं वित्तीय वर्ष 2027-28 के लिए अनुमानित उपभोक्ताओं की संख्या क्रमश: 2.08 करोड़ 2.13 करोड़, 2.19 करोड़ एवं 2.26 करोड़ है।
- अंकेक्षित लेखा विवरणी के अनुसार दोनों वितरण कंपनियों ने वित्तीय वर्ष 2023-24 में कुल 38.332.59 एम.यू. ऊर्जा का विक्रय किया है। दोनों वितरण कंपनियों ने वित्तीय वर्ष 2024-25, वित्तीय वर्ष 2025-26, वित्तीय वर्ष 2026-27 एवं वित्तीय वर्ष 2027-2028 में क्रमश: 35.290.76 एम. यू. 36.493.70 एम. यू., 39,287.77 एम. यू. और 42.462.40 एम. यू. ऊर्जा विक्रय करने का प्रस्ताव दिया है।
- दोनों वितरण कंपनियों ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए क्रमश: ₹15994.00 करोड़ रुपये और 17800.10 करोड़ रुपये का शुद्ध सकल राजस्व आवश्यकता (एआरआर) प्रस्तावित किया था, जिसमें एनबीपीडीएसीएल के लिए 717 करोड़ रुपये का राजस्व अंतर और एसबीपीडीसीएल के लिए 4115.58 करोड़ रुपये का राजस्व अंतर (वित्तीय वर्ष 2023-24 की वहन लागत के साथ राजस्व अंतर सहित) शामिल है। इस प्रकार, उन्होंने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए कुल शुद्ध एआरआर 33794.10 करोड़ रूपये (15994.00+17800.10) और कुल राजस्व अंतर 4832.58 करोड़ रूपये (717+4115.58) प्रस्तावित किया था। डिस्कॉम ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए एचटीएसएस श्रेणी के लिए ऊर्जा शुल्क में 1 रूपये प्रति यूनिट की वृद्धि और डीएस-1 श्रेणी में दो स्लैब को कम यूनिट दर पर विलय करने के अलावा शून्य टैरिफ वृद्धि का प्रस्ताव दिया है।
- आयोग ने उनके प्रस्तावों की गहन एवं विवेकपूर्ण जाँच के बाद एनबीपीडीसीएल के लिए 13966.09 करोड़ रूपये (1980. 74 करोड़ रूपये के राजस्व अधिशेष के साथ) का शुद्ध एआरआर और एसबीपीडीसीएल के लिए 16679.18 करोड़ रूपये (1873.19 करोड़ रूपये के राजस्व अंतर के साथ) का शुद्ध एआरआर स्वीकृत किया है। इस प्रकार वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए दोनों वितरण कंपनियों के लिए आयोग द्वारा अनुमोदित संयुक्त शुद्ध एआरआर 30645.26 करोड़ रुपये है और संयुक्त अधिशेष 107.55 करोड़ रूपये है।
- संचरण लागत के साथ एन. बी. पी. डी. सी. एल. एवं एस. बी. पी. डी. सी. एल. की अनुमोदित औसत ऊर्जा क्रय दर 5. 43/KWh है जबकि वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए वितरण कंपनियों प्रति यूनिट का औसत आपूर्ति खर्च ₹ 9.30 है।

- वित्तीय वर्ष 2025-26, वित्तीय वर्ष 2026-27 एवं वित्तीय वर्ष 2027-28 के लिए आयोग द्वारा एन. बी. पी. डी. सी. एल हेतु क्रमशः 14.12%, 13.71% और 13.30% एवं एस. बी. पी. डी. सी. एल हेतु क्रमशः 16.68%, 15.91% और 15.18% वितरण हानि प्रक्षेप (Distribution loss) निर्धारित किया गया है।
- आयोग ने नवीकरणीय ऊर्जा क्रय (RPO) का लक्ष्य वितरण कंपनियों के द्वारा वित्तीय वर्ष 2025-26, वित्तीय वर्ष 2026-27 एवं वित्तीय वर्ष 2027-28 में कुल विक्रय की जाने वाली ऊर्जा का क्रमशः 33.01%, 35.95% और 38.81% निर्धारित किया है।

वितरण कंपनियों के टैरिफ आदेश की मुख्य विशेषताएँ

विद्युत अधिनियम 2003, के प्रावधानों, एवं समय-समय पर विद्युत मंत्रालय भारत सरकार द्वारा निर्गत निदेश के आलोक में आयोग ने यथासंभव लागत प्रतिबिंबित टैरिफ रखने का प्रयास किया है।

वितरण कंपनियों ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए कोई टैरिफ बढ़ोतरी का प्रस्ताव नहीं दिया है। वितरण कंपनियों में स्वीकृत राजस्व अंतर के आधार पर और सभी तथ्यों, विचारों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए आयोग ने उपभोक्ताओं की सभी श्रेणियों के लिए मौजूदा खुदरा आपूर्ति टैरिफ में कोई बदलाव नहीं करने का फैसला किया है, बल्कि कुछ बदलाबों के जिनका विवरण नीचे दिया गया है। आयोग ने विचार-विमर्श के और परामर्श के उपरांत निम्नलिखित निर्णय लिये है:-

I. डिस्काम के द्वारा DS -1ग्रामीण श्रेणी के दोनों स्लेबों को कम स्लेब दरों पर एकल स्लेब में विलय के प्रस्तावों को स्वीकार कर लिया गया है। इससे 50 यूनिट से अधिक मासिक खपत वाले ग्रामीण घरेलू उपभोक्ताओं के लिए 0.54 रुपये प्रति यूनिट की कमी आएगी। इससे लगभग 93 लाख उपभोक्ताओं को लाभ मिलने को संभावना है।

II. आयोग ने एनडीएस-1 और एनडीएस-11 (0.5 किलोवाट से अधिक 70 किलोवाट तक की अनुंबध मांग) उपभोक्ताओं के लिए केवीएएच आधारित टैरिफ शुरू करने का निर्णय लिया है, अर्थात् (मांग शुल्क रूपये / केवीए के अनुसार तथा ऊर्जा शुल्क रुपये / केवीएएच के अनुसार)।

III. राज्य में कृषि उत्पादों के उचित लागत पर भंडारण को बढ़ावा देने के प्रयोजनार्थ कोल्ड स्टोरेजों के लिए कृषि आधारित विद्युत दरों को लागू करने के प्रस्ताव को आयोग ने स्वीकार कर लिया है। इस व्यवस्था से 74 किलोवाट तक की अनुंबध भांग तक कृषि उत्पाद को LT IAS-1 श्रेणी में शामिल करने का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया है, तथा HT स्तर के अंतर्गत HT कोल्ड स्टोरेज (11KV) HT कोल्ड स्टोरेज के लिए 50KVA से 1500 KVA तक की अनुबंधित मांग के लिए अलग श्रेणी की मांग के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया है। इस श्रेणी के तहत् लाभ प्राप्त करने के लिए उपभोक्ताओं को कृषि विभाग या उद्योग विभाग से प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

IV. एचटीएसएस (11/33 केवी) उपभोक्ताओं के ऊर्जा शुल्क में वृद्धि का वितरण कंपनियों के प्रस्ताव को आयोग द्वारा स्वीकार नहीं किया गया है।

V. टीओडी टैरिफ उनसभी उपभोक्ताओं (सभी ओद्योगिक एवं वाणिज्यिक उपभोक्ताओं सहित) के लिए लागू किया गया है जिनका अनुंबध मांग 10 किलोवाट से अधिक अनुबंध मांग वाले सभी उपभोक्ताओं के लिए टीओडी टैरिफ लागू किया गया है, जिसमें 10 किलोवाट से अधिक अनुबंध मांग वाले सभी ओद्योगिक एवं वाणिज्यिक उपभोक्ताओं शामिल है (कृषि उपभोक्ताओं को छोड़कर)। टीओडी टैरिफ के उद्देश्य से शाम के पीक घंटे केवल शाम के 5 बजे से रात 11 बजे तक होंगे।

VI. राज्य में स्वच्छ ऊर्जा की खपत को बढ़ावा देने के लिए "ग्रीन टैरिफ" निर्धारित करने के प्रस्ताव को स्वीकार किया गया है। स्वीकृत "ग्रीन टैरिफ" संबंधित श्रेणी के लागू टैरिफ के अतिरिक्त 0.42 रुपये / यूनिट की दर से देय होगा।

VII. एचटी उपभोक्ताओं को ऑनलाइन या डिजिटल भुगतान पर ऑनलाइन भुगतान छूट को बिल की गई राशि का 1% या ₹50,000 जो भी कम हो, के रूप में अनुमोदित किया गया है।

VIII. स्मार्ट प्रीपेड मीटर उपभोक्ताओं के लिए ऊर्जा प्रभार पर 3% की मौजूदा छूट (शीध्र भुगतान पर 2% छूट और ऑनलाइन रिचार्ज पर 1% छूट) को 0.25 रुपये / यूनिट की छूट में बदलने के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया है। इस छूट से राज्य के वर्त्तमान में लगभग 60 लाख उपभोक्ताओं के बिजली दर में 25 पैसे प्रति यूनिट की कमी होगी।

IX. स्मार्ट प्रीपेड मीटरों के लिए अनुबंध मॉग के उल्लंघन से संबंधित दंड प्रावधान को शिथिल करने के प्रस्ताव को आयोग द्वारा स्वीकार कर लिया गया है। इसके अंतर्गत स्मार्ट मीटरों की स्थापना के बाद छह महीने की अवधि की छूट प्रदान करने का निर्णय लिया है, ताकि उपभोक्ताओं पर कोई भी जुर्माना लगाए बिना इस प्रणाली को अपनाया जा सकें।

X. याचिकाकर्त्ताओं के अनुरोध के अनुसार, आयोग ने निर्णय लिया है कि वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए आईएएस - 1 श्रेणी के लिए पॉवर फैक्टर सरचार्ज लागू नहीं होगा।

यह टैरिफ आदेश दिनांक 01.04.2025 से लागू होगा तथा 31.03.2026 या आयोग द्वारा अगला टैरिफ आदेश निर्गत होने तक प्रभावी रहेगा।

विद्युत दरों में बढ़ोत्तरी नहीं किये जाने का चैम्बर ने किया स्वागत

विद्युत टैरिफ का स्वागत करते हुए बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इण्डस्ट्रीज ने आयोग के प्रति धन्यवाद व्यक्त किया है।

चैम्बर अध्यक्ष सुभाष पटवारी ने कहा कि 2025-26 के लिए घोषित विद्युत टैरिफ में किसी प्रकार की बढ़ोतरी नहीं की गयी है बल्कि ग्रामीण घरेलू उपभोक्ताओं के लिए 50 यूनिट से अधिक खपत पर जो 0.54 पैसे प्रति यूनिट अधिक चार्ज किया जाता था, उसे समाप्त कर एक ही दर कर दी गई है तथा शहरी क्षेत्र के स्मार्ट मीटर के उपभोक्ताओं को जो 3 प्रतिशत की छूट मिलती थी, उसे बदलकर विद्युत दरों में 0.25 पैसे की कमी कर दी गई है।

(साभार : राष्ट्रीय सहारा, 29.3.2025)

PT.GPO/R-10/NP-15/2017-19 R. N. 4211/62

हल्दिया से पटना होते वाराणसी तक जून से चलेंगे कार्गो जहाज

जलमार्ग से फायदे : • सस्ती दर माल की ढुलाई • बाढ़ आने पर रोड या रेल मार्ग प्रभावित होने पर जलमार्ग चालू रहेगा • बीच रास्ते में माल की चोरी नहीं हो सकेगी • एक बार में 10 ट्रक के बराबर माल ढोता है • एक घंटे में 15 किमी तय करेगा।

पश्चिम बंगाल के हल्दिया से बिहार होते वाराणसी तक गंगा में छह कार्गो जहाज का परिचालन जून से होगा। यह जहाज करीब 1350 किमी चलेगा।

भारतीय अंतरदेशीय जलमार्ग प्राधिकरण के मुताबिक, कार्गो जहाज जर्मनी की कंपनी चलाएगी। इससे देश-विदेश से माल की ढुलाई आसान होगी। सीमेंट, जिप्सम, कोयला, गिट्टी, मछली सहित अन्य सामान अब कार्गो जहाज से बिहार आएगा। इससे कारोबारियों को सुविधा होगी। कार्गो जहाज का ठहराव गाय घाट पर होगा। यह 15 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगा। प्रति टन एक किमी माल ढुलाई में रेलमार्ग से 1.60 रुपए, जलमार्ग से 2 रुपए, सड़क मार्ग से 3.60 रुपए और वायुमार्ग से 18 रुपए लगते हैं। 300 किमी से अधिक की दूरी पर आंतरिक जलमार्गों के माध्यम से अपने सामान का परिवहन करने के लिए प्रोत्साहन राशि मिलेगी। 35 फीसदी तक प्रतिपूर्ति होगी। तब जलमार्ग से माल की ढुलाई रेल मार्ग से भी सस्ती हो जाएगी।

(साभार : दैनिक भास्कर, 24.3.2025)

अब चार लोगों को बना सकते हैं नॉमिनी

राज्यसभा ने बैंककारी विधियां (संशोधन) विधेयक 2024 को मंजूरी दे दी जिसमें बैंकिंग क्षेत्र में सुधार के विभिन्न प्रावधान किये गये हैं। विधेयक में यह प्रावधान है कि कोई बैंक खाताधारक अपने खाते में चार 'नॉमिनी' (नामित) बना सकता है। राज्यसभा ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा चर्चा का जवाब दिये जाने के बाद इस विधेयक को ध्वनिमत से मंजूरी दे दी। इसके साथ ही सदन ने विपक्ष द्वारा पेश संशोधनों को खारिज कर दिया और सरकार द्वारा पेश संशोधनों को स्वीकार कर लिया। उन्होंने कहा कि इस विधेयक के माध्यम से पाँच कानूनों में संशोधन किया जायेगा। विधेयक में वैधानिक लेखा परीक्षकों को भुगतान किया जाने वाला पारिश्रमिक तय करने में बैंकों को स्वतंत्रता देने का भी प्रावधान है।

बैंक से कर्ज लेकर विदेश भागने वालों के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी : सीतारमण

करोड़ों रुपये का बैंक कर्ज लेकर विदेश भाग जाने वाले लोगों का ऋण माफ कर देने के आरोपों को खारिज करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी और ऐसे मामलों में 749.83 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की जा चुकी है। वित्त मंत्री ने कहा कि बैंकों की सकल एनपीए सितम्बर 2024 में 2.5% के निचले स्तर पर आ गयी है। सार्वजनिक बैंकों ने पिछले वित्त वर्ष में 1.41 लाख करोड़ रुपये का निवल लाभ कमाया।

(साभार : प्रभात खबर, 27.3.2025)

अत्यावश्यक सूचना

बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज द्वारा निःशुल्क संचालित कौशल विकास प्रशिक्षण केन्द्र के सिलाई-कटाई, ब्युटीशियन एवं कम्प्यूटर प्रशिक्षण का नया बैच प्रारम्भ होने वाला है।

यदि कोई सदस्य चैम्बर के कौशल विकास प्रशिक्षण केन्द्र में प्रशिक्षण हेतु किन्हीं का नामांकण करवाना चाहते हों तो बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज में किसी भी कार्य दिवस में आवेदन-पत्र हेतु सम्पर्क कर सकते हैं।

1 अप्रैल 2025 से प्रभावी मजदूरी की दरें (अनुसूची-II)

क्र. सं.	कामागारों की कोटि	दिनांक 1.9.2022+1.10.2022+1.4.2023+1.10.2023+1.4.2024+1.10.2024 से निर्धारित न्यूनतम मजदूरी की दरें (रुपये में)	परिवर्तनशील महंगाई भत्ता की राशि जो कि दिनांक 1.4.2025 से प्रभावी होगी	1.4.2025 से लागू कुल मजदूरी की दरें। (स्तंभ 3+4)
1	2	3	4	5
1	अकुशल	366.00 + 7.00 + 15.00 + 7.00 + 15.00 + 2.00 = 412.00	12.00	424.00 प्रतिदिन
2	अर्द्धकुशल	380.00 + 8.00 + 15.00 + 8.00 + 15.00 + 2.00 = 428.00	12.00	440.00 प्रतिदिन
3	कुशल	463.00 + 9.00 + 19.00 + 9.00 + 19.00 + 2.00 = 521.00	15.00	536.00 प्रतिदिन
4	अतिकुशल	566.00 + 11.00 + 23.00 + 11.00 + 23.00 + 2.00 = 636.00	18.00	654.00 प्रतिदिन
5	पर्यवेक्षीय / लिपिकीय	10478.00 + 210.00 + 419.00 + 210.00 + 419.00 + 44.00 = 11780.00	332.00	12112.00 प्रतिमाह

EDITORIAL BOARD

Editor
PASHUPATI NATH PANDEY
Secretary General

Chairman
ASHISH SHANKAR
Bulletin Sub-Committee

Printer & Publisher
A. K. DUBEY
Dy. Secretary

Khemchand Chaudhary Marg, Patna - 800 001 • Ph. : 0612-2677605, 2677505, 2677635
E-mail : bccpatna@gmail.com • Website : www.biharchamber.org

Designed & Printed by : Sharada Enterprises, Ph. : 0612-2667296